



क्षेत्रीय कार्यालय महाराष्ट्र  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
पंचदीप भवन, 108एन. एम्. जोशी मार्ग लोअर परेल, मुंबई - 400013  
( आई. एस. ओ. 9001 : 2000 प्रमाणित )

दूरभाषा सं. 022-612 09700/9 फैक्स सं. 022-249 21 701/612 09741

सं. 31-डी/जेरॉक्स/सामान्य/भाग-III

दिनांक: 22/03/2015

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	24/04/2015 ( 3:00बजे अपराह्न )
बोली खोलने की तिथि और समय	27/04/2015 ( 4:00 बजे दोपहर )
बोली खोलने की जगह	क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई

### निविदा सूचना

#### ऑपरेटर सहित फोटोकॉपियर मशीन किराए पर लेने के लिए निविदा सूचना

ऑपरेटर सहित एक फोटोकॉपियर मशीन भाड़े पर लेने हेतु दो बोली प्रणाली के अंतर्गत प्रतिष्ठित एजेंसियों से किराये के आधार पर मोहरबंद निविदा आमंत्रित की जाती है जिसकी शर्तें निम्नलिखित होगी :-

#### पात्रता मापदंड :-

बोलीकर्ता को केन्द्र / राज्य / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / निजी कंपनियों में समान कार्य का विगत दो वर्षों का अनुभव होना चाहिए । बोलीकर्ता को इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण भी संलग्न करना होगा ।

समान कार्य की परिभाषा : - एकल आदेश / ठेके के तहत किसी भी केन्द्र / राज्य सरकार के कार्यालय / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / निजी संगठन / इकाइयों में कॉपियर भाड़े पर देना ।

#### कार्य की परिधि :-

1. फोटोकॉपी मशीन का संचालन करने में कुशल ऑपरेटर सहित ' क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन, कार्यालय परिसर, 108, ना.म.जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400 013, में आवश्यकतानुसार सभी कार्य दिवसों में प्रातः 9:30 बजे से शाम 6:00 बजे तक और जब भी आवश्यकता हो तो अवकाश / साप्ताहिक अवकाश, कार्यालय समय के बाद भी अबाध फोटो कॉपी सुविधा उपलब्ध कराना ।
2. अनुमानित मात्रा (ए-4 / लीगल, 75 जी.एस.एम, श्याम-श्वेत (ब्लैक एण्ड व्हाइट) में) लगभग

20,000 से 30,000 पेज/ प्रति प्रतिमाह होगी ।

3. ठेकेदार/एजेंसी यह सुनिश्चित करें कि उनकी अपनी लागत पर हर समय टोनर और अन्य वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध हो । मशीन ठप होने की स्थिति में अपेक्षित कागजात स्वयं की लागत पर बाहर से फोटोकॉपी कराना विक्रेता की जिम्मेदारी होगी ।
4. ठेकेदार/एजेंसी को फोटोकॉपी मशीन के सभी अनुरक्षण प्रभारों, टोनर, उपयोग्य वस्तु, अतिरिक्त पुर्जे (स्पेयर पार्ट), लेखन सामाग्री, प्रचालन (ऑपरेटर) वेतन आदि का वहन स्वयं करना होगा ।
5. मशीन संस्थापन (इंस्टॉलेशन) के लिए स्थान और बिजली क.रा.बी.निगम द्वारा उपलब्ध कराए जाएँगे ।

निविदा (टेंडर) प्रस्तुत करने हेतु प्रक्रिया :-

“निविदा एक बड़े लिफाफे में, जिसके ऊपर फोटोकॉपियर मशीन किराए पर लेने हेतु बोली” लिखा हो, जिसके अंदर दो अलग-अलग मोहरबंद लिफाफे हों।

1. लिफाफे 'ए' पर "फोटोकॉपियर मशीन किराए पर लेने के लिए तकनीकी बोली" लिखा हो ।
2. लिफाफे 'बी' पर "फोटोकॉपियर किराए पर लेने के लिए वित्तीय बोली" लिखा हो ।

निम्नलिखित के नाम भेजें :-

क्षेत्रीय निदेशक ( सामान्य शाखा )

कमरा नं. 509, पाँचवा माला, क.रा.बी. निगम, पंचदीप भवन,  
एन. एम. जोशी मार्ग, लोअर परेल, मुंबई - 400 013.

**नोट :-** केवल उन निविदाओं की वित्तीय बोलियां खोली जाएगी, जो तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त करेंगे ।

✚ इच्छुक एजेंसियां निम्नलिखित प्रमाण-पत्र संलग्न करें :-

'ए' लिफाफे पर अंकित तकनीकी बोली :-

1. संस्था का नाम, पता व दूरभाष संख्या :
2. अन्य विवरण / विशिष्टताओं सहित मशीन का प्रकार / ब्रैंड / मॉडल (न्यूनतम टाइप कैन्नन ir 3300 या इससे बेहत्तर)
3. दस्तावेजी प्रमाण सहित सूचना संलग्न करें ।  
सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपियां पढ़ने योग्य और स्वतः सत्यापित हों ।

क्र. सं.	विवरण	पंजीकरण संख्या व तिथि	प्रस्तुत किया गया प्रमाण
1.	फर्म/कंपनी ट्रेड लाइसेंस का पंजीकरण		हाँ/ नहीं
2.	सेवा कर संख्या		हाँ/ नहीं

3.	पैन नं.		हाँ/ नहीं
----	---------	--	-----------

4. फोटोकॉपी के क्षेत्र के बजार में टिके रहने का तीन वर्ष का अनुभव दर्शाने वाले अपेक्षित दस्तावेज ।
5. विगत तीन वर्षों की वार्षिक कुल बिक्री विवरणी
6. ई.एम.डी : क.रा.बी. निधि खाता सं. 1 मुंबई को देय डिमांड ड्राफ्ट भुगतान आदेश रु 1000/- ( रुपये एक हजार मात्र, जो निविदा स्वीकार न किए जाने की स्थिति में बिना ब्याज के लौटाया जाएगा ) या क.रा.बी.निगम, पंचदीप भवन, लोअर परेल मुंबई के भूतल पर अवस्थित शाखा का. लोअर परेल में सीधे नकद जमा कराई जाए।

'बी' लिफाफे पर अंकित वित्तीय बोली : -

1. दर निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से 6 महीने की अवधि तक वैध रहनी चाहिए ।
2. वित्तीय बोली निम्नलिखित प्रारूप में दी जानी चाहिए :

क्र. सं.	विवरण	मूल्य रु. में
1.	न्यूनतम 20,000 फोटोप्रतियों के लिए निर्धारित मासिक प्रभार	
2.	20,000 प्रतियों के बाद प्रति प्रतिलिपि दर	
3	कर, (यदि कोई हों)	

- बोलीकर्ता स्पष्ट शब्दों में बताए कि दी गई राशि में सेवा कर एवं वैट शामिल है या नहीं, यदि ऐसा उल्लेख नहीं है, तो इसे समावेशी माना जाएगा ।
- दी गई दर बोली की प्रस्तुति के दिनांक से 3 माह की अवधि तक वैध रहनी चाहिए ।

### नियम व शर्तें

बयाना जमा करना :

1. बोलीकर्ता को निविदा के साथ रु० 1000/- ( रुपये एक हजार मात्र) का बयाना निम्नलिखित दो पद्धतियों में से किसी एक से जमा करना होगा ।
  - a) डिमांड ड्राफ्ट / पे आर्डर द्वारा क.रा.बी. निधि खाता सं. 1 के पक्ष में मुंबई में देय हो ।
  - b) नकद द्वारा बयाना राशि क.रा.बी. निगम पंचदीप भवन एन.एम. जोशी मार्ग लोअर परेल के भूतल पर स्थित शाखा कार्यालय लोअर परेल में नकद रूप में जमा करवाया जाए (तथा इसकी पावती निविदा से संलग्न की जाए) ।
2. बयाने के बिना प्राप्त निविदाओं पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया जाएगा और सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा ।
3. चैक / नकद / बैंक गारंटी के रूप में बयाना सहित प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा । बयाने पर कोई ब्याज नहीं दी जाएगी ।

ई.एम.डी जब्त करना :

1. यदि बोलीकर्ता निविदा की वैध अवधि के दौरान उसमें किसी भी तरह का संशोधन, कटौती और कमी करता है, तो जमा बयाना (ई.एम.डी) जब्त कर लिया जाएगा ।
2. यदि सफल बोलीकर्ता किन्हीं भी कारणों से निविदा का प्रस्ताव अस्वीकार करता है ।
3. निम्नोल्लोखित निष्पादन प्रतिभूति जमा करवाने में असफल रहने पर ।

#### बयाना वापस लौटाना :

1. असफल बोलीकर्ता को ईएमडी सफल बोलीकर्ता को अधिनिर्णय पत्र (अवॉर्ड लैटर) जारी करने के तीस दिनों के भीतर लौटाया जाएगा और उस पर कोई ब्याज नहीं दी जाएगी
2. सफल बोलीकर्ता को निविदा को अंतिम रूप देने के तीस दिनों के भीतर ईएमडी लौटाया जाएगा या निष्पादन प्रतिभूति जमा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा और इस पर कोई ब्याज नहीं दी जाएगी ।

#### निष्पादन प्रतिभूति :

सफल बोलीकर्ता को ऑर्डर दिए जाने के 21 दिनों के भीतर ठेके के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत के बराबर राशि बिनाशर्त निष्पादन प्रतिभूति मांग पत्र / पे ऑर्डर के रूप में जमा करानी होगी, जो क.रा.बी. निधि खाता सं. 1मुंबई के नाम देय होगा । निष्पादन प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज नहीं दी जाएगी ।

#### निष्पादन प्रतिभूति जमा राशि की वापसी :

सफल ठेकेदार/एजेंसी को निष्पादन प्रतिभूति जमा राशि ठेके की अवधि की समाप्ति के दिनांक से 60 दिन के बाद लौटाई जाएगी, तथा इस पर कोई ब्याज नहीं दी जाएगी ।

#### प्रतिभूति जमाराशि जब्त किया जाना :

ठेके से संबंधित नियमों/शर्तों का उल्लंघन किए जाने के मामले में, निष्पादन प्रतिभूति जमा राशि, क.रा.बी.निगम द्वारा जब्त कर ली जाएगी, तथा ठेके को भी समाप्त कर दिया जाएगा ।

#### भुगतान की शर्तें :

फोटोप्रतियों के प्रमाणन / सत्यापन के बाद ही मासिक आधार पर भुगतान किया जाएगा । इस कार्यालय की पूर्ण संतुष्टि से बनाए गए बिल / इन्वायस 15 के दिन के अंदर केवल ई.सी.एस. के माध्यम से भुगतान किया जाएगा ।

#### ठेका प्रदान करना :

सबसे कम बोली लगाने वाले बोलीकर्ता को ही ठेका प्रदान किया जाएगा । क.रा.बी. निगम को किसी अथवा सभी दर पत्रों को आंशिक या पूर्ण रूप में स्वीकार करने / बिना कोई कारण दिए खारिज करने / ठील देने का अधिकार है ।

#### दंड संबंधी अनुच्छेद :

- एसिक परिसर में बहिर्गत कार्य नहीं कराया जाएगा ।
- जिस अवधि के दौरान फोटोकॉपियर मशीन कार्य करने की स्थिति में नहीं होगी या प्रचालक (ऑपरेटर) अनुपस्थित रहेगा, उस अवधि के लिए, दंड जो क.रा.बी.निगम द्वारा निर्धारित किया जाएगा / वसूल किया जाएगा ।
- यदि मशीन 2 दिन से अधिक अवधि के लिए कार्यरत नहीं रहेगी, तो अन्य मशीन को तत्काल प्रतिष्ठापित किया जाना चाहिए ।

### स्त्रोत पर काटे जानेवाले कर संबंधी अनुच्छेद :

भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसरण में बिल पर लगनेवाले स्त्रोत पर काटे जानेवाले कर तथा अन्य सरकारी कर काटे जाएंगे ।

### संविदाएं खारिज करना :

क.रा.बी.निगम को किसी अथवा सभी निविदाओं को आंशिक या पूर्ण रूप से बिना कोई कारण बताए खारिज करने / रद्द करने का अधिकार है ।

### ठेके की वैधता :

1. ठेका प्रदान करने के दिनांक से एक वर्ष तक वैध रहेगा, जिसे क.रा.बी.निगम के विवेक पर पारस्परिक अनुमति से उन्हीं नियमों / शर्तों पर एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है । यदि देखने में आता है कि फोटो कॉपी कार्य की गुणता खराब है, ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त कागज अपेक्षानुरूप नहीं है, तथा अपेक्षित समय सीमा के अंदर कार्य पूरा नहीं हुआ है / बकाया रखा गया है तो क.रा.बी.निगम को ठेका समापन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा ।
2. पक्षकार को ठेके के समापन से पूर्व क.रा.बी.निगम को 3 माह का नोटिस देना होगा, जिसके उल्लंघन से निपटान गारंटी / सुरक्षा-धन तथा सभी बकाया देय राशी राशियाँ जब्त हो सकती हैं ।

### अन्य :

1. क.रा.बी.निगम के लिए एसिक ड्यूटी पर ठेकेदार के प्रचालक को आई किसी चोट / मृत्यु आने की दशा में कोई क्षतिपूर्ति देना न बाध्यकर होगा, न वह इसके लिए उत्तरदायी रहेगा ।
2. वर्तमान सरकारी नियमों के अनुसार ठेकेदार को ऐसी प्रासांगिकताओं से निपटने के लिए अपने स्वयं की व्यवस्था करनी होगी ।
3. ठेकेदार द्वारा नियुक्त अधिकारी को आवासीय जगह उपलब्ध कराने के लिए क.रा.बी.निगम उत्तरदायी नहीं रहेगा ।
4. ठेकेदार का वर्तमान में नियुक्त या भविष्य में नियोज्य कोई भी कर्मचारी निगम में किसी भी प्रकार के रोजगार में आने का दावा करने का हकदार नहीं होगा । ठेकेदार को अपने दर-पत्र के इस संबंध में अभिवचन संलग्न करना होगा ।
5. ठेकेदार अपने कर्मचारी तथा उपस्कर के संबंध में उसे लागू सभी नियमों / विनियमों का अनुपालन करेगा, तथा उनके उल्लंघन के मामले में उसका ठेका समापन का पात्र बनेगा ।

ठेकेदार को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसे लागू विभिन्न अधिनियमों, नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत सभी बाध्यताओं का जैसे ठेके पर नियुक्त श्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम भविष्य निधि तथा क.रा.बी. अधिनियम, बोनस-भुगतान अधिनियम तथा अन्य लागू विभिन्न नियम अधिनियम आदि, जो समय-समय पर संशोधित किए जाएंगे, अनुपालन किया जाता है / पूर्ति की जाएगी ।

6. विवाद (यदि कोई हों) मुंबई में स्थित न्यायालयों के क्षेत्राधिकार मात्र के अधीन रहेंगे ।
7. ठेकेदार/संविदाकार किसी गैर अनुपालन के कारण श्रम या अन्य लागू कानूनों की शिकायत से उत्पन्न किसी भी दंड या वित्तीय नुकसान से होनेवाली क्षति लिए क. रा. बी. निगम का क्षतिपूर्ति प्रदान करेगा ।

किसी संगत प्रश्न / विवरण / सूचना के मामले में इस कार्यालय से सभी कार्य दिवसों पर कार्यालयीन समय के दौरान निःसंकोच मशवरा करें ।

(अनिल युमनाम)  
सहा. निदेशक(सा. - I)